भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4035

30 मार्च, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

नमो भारत (आरआरटीएस) कॉरिडोर का विस्तार

4035 श्री कार्तिकेय शर्माः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नमो भारत (आरआरटीएस) कॉरिडोर को क्रमशः करनाल और अलवर तक प्रस्तावित विस्तार हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) चालू राजकोषीय वर्ष के दौरान कैबिनेट की मंजूरी के लिए इन डीपीआर को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने की प्रस्तावित समय-सीमा क्या है;
(ग) इन कॉरिडोर के शुरू होने की अनुमानित तिथि क्या है; और
(घ) इन विशिष्ट क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम विस्तारों के लिए प्रारंभिक अवसंरचना विकास और भूमि अधिग्रहण हेतु कितनी राजकोषीय आवंटन निर्धारित की गई है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड (एनसीआरटीसी) ने दिल्ली से करनाल और दिल्ली से बावल तक नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कॉरिडोर के लिए क्रमशः अप्रैल, 2025 और सितंबर, 2025 में संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत की है। नमो भारत आरआरटीएस परियोजनाएं लागत गहन प्रस्ताव हैं और इसलिए, केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर इसकी गहन जांच होती है। ऐसी जांच के बाद, केन्द्र सरकार प्रस्ताव की व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर, आरआरटीएस परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने पर विचार करती है। ऐसे प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।
